

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट REPORT OF THE AUDITORS TO THE PRESIDENT OF INDIA

1. हमने देना बैंक के 31 मार्च, 2007 के संलग्न तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त अवधि के लाभ-हानि लेखों का लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 25 शाखाएं, 26 प्रशासनिक कार्यालय, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 669 शाखाएं शामिल हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलन पत्र और लाभ हानि लेख में ऐसी 342 शाखाओं के विवरण भी शामिल हैं, जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है। इन गैर लेखा परीक्षित शाखाओं के अग्रिम कुल अग्रिमों के 4%, जमाराशियां कुल जमाराशियों के 16.05%, ब्याजगत आय कुल ब्याजगत आय के 2.88% और ब्याजगत व्यय कुल ब्याजगत व्यय के 15.18% होते हैं। हमने तुलन पत्र के साथ उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण की भी लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है। हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों की अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा की योजना एवं उसका कार्यान्वयन इस प्रकार करें कि उसे ऐसा युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि ये वित्तीय विवरण किसी सारयुक्त सूचना से रहित नहीं हैं। लेखापरीक्षा में नमूना आधार पर धनराशियों और वित्तीय विवरणों के प्रकटन के समर्थन में साक्ष्यों का परीक्षण शामिल होता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गये महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ-साथ समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतन का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे इस मत का युक्ति युक्त आधार उपलब्ध कराती है।

3. तुलन-पत्र और लाभ व हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फॉर्म "क" और "ख" में तैयार किए गए हैं।

4. ऊपर पैरा 1 और 2 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 द्वारा अपेक्षित और उसमें यथा प्रकटन की सीमाओं की अपेक्षा के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (i) क) अन्तर शाखा लेखों की प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान 28 फरवरी 2007 तक कर लिया गया है और उनके समायोजन की प्रक्रिया जारी है।
- ख) अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों के संतुलन तथा उनके प्रधानबही से समाधान का कार्य कुछेक शाखाओं में जारी है।
- ग) लेखा संबंधी अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 18.1 में किये गये उल्लेख के अनुसार भुगतान के लिए देय मांग ड्राफ्टों, बिना सूचना अदा किए गए ड्राफ्टों, उचंत खातों, लाभांश ब्याज वारंटों, अदा किये गए वापसी आदेशों, समाशोधन, समायोजन सेवा शाखा एवं समाशोधन में भाग लने वाली शाखाओं के बीच समाधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य बैंकों के साथ शेषों की बकाया प्रविष्टियां हैं, जिनका समाधान/समायोजन कार्य जारी है। उपर्युक्त के प्रभाव तथा अन्य प्रकटनों/अनुपातों का पता नहीं लगाया गया है।
- (ii) लेखा अनुसूची 17 के पैरा 17.6(i) तथा 17.6(ii) में यथावर्णित कुछेक आय/व्यय उपचय आधार के स्थान पर नकद आधार पर दर्शाए गए हैं, जो कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "राजस्व

1. We have audited the attached Balance Sheet of Dena Bank as at 31st March, 2007 and the Profit and Loss Account annexed thereto for the year ended on that date, in which are incorporated the returns of 25 branches and 26 administrative offices audited by us, 669 branches audited by other auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the bank in accordance with the guidelines issued to the bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit & Loss Account are the returns from 342 branches, which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4% of advances, 16.05% of deposits, 2.88% of interest income and 15.18% of interest expenses. We have also audited the cash flow statement annexed to the balance sheet for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the bank's management. Our responsibility is to express our opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively, of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 1 & 2 above, and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and subject to the limitation of disclosures required therein, we report that:

- (i) a) Initial matching of entries in Inter-Branch Accounts has been done up to 28th February, 2007 and the process of reconciliation is in progress.
- b) Balancing of subsidiary ledgers / registers and reconciliation with general ledgers is in progress at some branches.
- c) As referred to in Note No.18.1 of Schedule 18 to the Accounts, there are outstanding entries in the accounts of demand drafts payable, drafts paid ex-advice, suspense accounts, dividend / interest warrants, refund orders paid, clearing adjustments, reconciliation between the service branches and participating branches in respect of clearing, balances with Reserve Bank of India and other banks which are in the process of reconciliation / balancing / adjustments. Impact of the above, as also on the other disclosures / ratios is not ascertained.
- (ii) Certain income / expenditure have been accounted for on cash basis instead of accrual basis as mentioned in Para 17.6(i) & 17.6(ii) of Schedule 17 to the Accounts, the same being not in accordance with

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट REPORT OF THE AUDITORS TO THE PRESIDENT OF INDIA

अभिनिर्धारण' से संबंधित लेखांकन मानक 9 के अनुसार नहीं है. उपर्युक्त तथा अन्य प्रकटनों/अनुपातों पर इनके प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है.

(iii) लेखा टिप्पणी सं. 18.19 (क) (i) पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो बैंक गारंटी पर कमीशन, सरकारी कारोबार से प्राप्त आय के निर्धारण के लिए लेखांकन नीति में किए गए बदलाव से संबंधित है. यह संशोधित नीति भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक-9 के अनुसार नहीं है.

(iv) वित्तीय विवरणों पर इन लेखा टिप्पणियों के प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है - गैर निष्पादक आस्तियों के स्थिति परिवर्तन से संबंधित टिप्पणी संख्या 18.9 (क) आस्ति देयता प्रबंधन (ए.एल.एम.) के प्रकटन से संबंधित टिप्पणी संख्या 18.12 तथा आयकर के लिए किये गये प्रावधान से संबंधित टिप्पणी संख्या 18.16 तथा ए.आर.सी. को बेची गई गैर निष्पादक आस्तियों से प्राप्त आय के निर्धारण से संबंधित टिप्पणी सं. 18.19 (क)(iii).

5. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) लेखा टिप्पणियों एवं उसमें उल्लिखित अनुसूचियों के साथ पठित उपरोक्त 4(i) से (iv) में दी गई हमारी टिप्पणियों की शर्त पर तथा हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के आधार पर तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एवं बैंक की बहियों में यथा प्रदर्शित:

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उन पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र अपने आवश्यक ब्यौरों के साथ पूर्ण और सही है तथा इसे ऐसे उचित रूप से तैयार किया गया है कि उससे 31 मार्च 2007 को बैंक के कार्यकलापों का सही और स्पष्ट चित्र उपस्थित हो सके.

(ख) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि लेखा 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लाभ के वास्तविक अतिशेष को दर्शाता है.

(ग) नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह की वास्तविक स्थिति दर्शाता है.

(ii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु हमने सभी आवश्यक सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है.

(iii) बैंक के संव्यवहार, जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं.

the Accounting Standard-9 'Revenue Recognition' issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The impact of the same, as also on the other disclosures / ratios is not ascertained.

(iii) Attention is drawn to Notes on Accounts point 18.19 (a) (i) regarding Change in Accounting Policy for Recognition of Income in respect of Commission on Bank Guarantee, Income from Government Business and Insurance Business. The revised policy is not in accordance with AS - 9 of ICAI.

(iv) Attention is drawn to Notes on Accounts: Note No. 18.9 (a) pertaining to movement of NPA, Note No. 18.12 pertaining to disclosure of Asset Liability Management (ALM), Note No. 18.16 pertaining to Provision for Income Tax and 18.19 (a) (iii) regarding the Income recognized on Sale of Non Performing Assets to ARC, for their impact on the financial statements.

5. We further report that:

(i) Subject to our comments in paragraphs 4(i) to (iv) above, read with the Notes on the Accounts and Schedules mentioned therein, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the bank:

(a) The Balance Sheet read with the Significant Accounting Policies and the Notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars and it is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March 2007.

(b) The Profit and Loss Account read with the Significant Accounting Policies and the Notes thereon shows a true balance of profit for the year ended 31st March 2007.

(c) The Cash Flow Statement gives the true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March 2007.

(ii) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

(iii) The transactions of the bank, which have come to our notice, have been within the powers of the bank.

कृते भुदलाडिया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

FOR BHUHLADIA & CO.
Chartered Accountants

साजन सी.वी.
भागीदार
(एम. नं. 092146)

SAJAN C. V.
Partner
(M. No. 092146)

कृते खण्डेलवाल काकाणी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

FOR KHANDELWAL KAKANI & CO.
Chartered Accountants

गर्जना राठोड़
भागीदार
(एम. नं. 78147)

GARJANA RATHORE
Partner
(M. No. 78147)

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार

FOR S. JAYKISHAN
Chartered Accountants

एस. चटर्जी
भागीदार
(एम. नं. 017361)

S. CHATTERJEE
Partner
(M. No. 017361)

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

FOR GANDHI MINOCHA & CO.
Chartered Accountants

अजय कात्याल
भागीदार
(एम. नं. 087915)

AJAY KATYAL
Partner
(M. No. 087915)

कृते नृपेन्द्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

FOR NRIPENDRA & CO.
Chartered Accountants

राहुल गुप्ता
भागीदार
(एम. नं. 077811)

RAHUL GUPTA
Partner
(M. No. 077811)

स्थान : मुंबई, दिनांक : 25 अप्रैल, 2007

Place : Mumbai, Date : 25th April, 2007